न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सोनू कुमारी (आई.ए.एस)

प्रकरण संख्या :– 64 / 2022 दायर दिनांक 04.10.2022

उनवान मुकदमा

1. श्री गिरधारीलाल पिता स्व. श्री सुखलाल खेरावत जाति तेली निवासी किशनपोल तेलीवाड़ा बांसवाड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा।

–प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी जरिए तहसीलदार तहसील बांसवाड़ा जिला बांसवाड़ा (राज.)।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

दिनांक :–23 / 12 / 2025

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र दावा बाबत राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 369 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा वाके गांव कूपड़ा पटवार हल्का कूपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में स्थित है। खसरा नम्बर 369 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा में से 16 बिस्वा भूमि कार्यालय विहित प्राधिकरण तहसीलदार बांसवाड़ा के सम्परिवर्तन आदेश क्रमांक राज / 2011 / 389–91 दिनांक 17.03.2012 के द्वारा 1296 वर्गमीटर भूमि कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई है। रूपान्तरित भूमि को प्रार्थी के नाम आबादी में जरिये नामान्तरकरण संख्या 1660 दिनांक 10.05.2012 के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई है। जिसका नया बटा खसरा नम्बर 1814 / 369 है। शेष कृषि भूमि खसरा नम्बर 369 रकबा 16 बिस्वा प्रार्थी के नाम खातेदारी में रही है। प्रार्थी की 16 बिस्वा भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए से लगी हुई कृषि भूमि रकबा 0.0937 हैक्टेयर अवाप्ति प्रक्रिया होकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 2212 दिनांक 12.04.2021 सड़क में अवाप्त की गई है। जिसका नया बटा खसरा नम्बर 2007 / 1814 / 369 दिया गया। शेष प्रार्थी की कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 369 रकबा 0. 1295 हैक्टेयर खातेदारी में शेष रही है। प्रार्थी द्वारा भूमि रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी ने प्रस्तावित भूमि का नक्शा पेश किया गया है। रूपान्तरण के साथ प्रस्तुत नक्शा ट्रेस में बताई प्रस्तावित आबादी भूमि मुख्य सड़क के मध्य बिन्दु से 40

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

मीटर छोड़कर नक्शा पेश किया गया है। जो कि मूल खसरा नम्बर 369 कर दक्षिणी हिस्सा है एवं उसी अनुसार रूपान्तरण आदेश किया गया विहित प्राधिकारी तहसीलदार के आदेश के अनुसार नक्शाट्रेस में आबादी भूमि का तरमीम नहीं होकर सड़क से लगी हुई भूमि में आबादी खसरा नम्बर में 1814/369 का लिपिकीय भूल से हो गया है। आबादी भूमि का वर्तमान नक्शा ट्रेस में लिपिकीय भूल से सड़क सीमा की भूमि में तरमीम सहवन से हो गया है। उक्त अशुद्धि ऑन दे फेस ऑफ रेकार्ड लिपिकीय भूल है। जिरो माननीय न्यायालय को सही एवं शुद्ध करने का अधिकार है। अतः प्रस्तावित आवासीय भूमि एवं रूपान्तरित आदेश के अनुसार नक्शाट्रेस में मूल खसरा नम्बर 369 के दक्षिणी हिस्से में आवासीय भूमि नया बटा खसरा नम्बर 1814/369 रकबा 16 बिस्वा अर्थात 1296 वर्गमीटर का तरमीम शुद्धि हेतु यह प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को तलब करने पर अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की खातेदार भूमि की खसरा नम्बर 369 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा में से 0.07 बीघा सड़क सीमा की भूमि श्री सरकार समर्पण होने के बाद इस आरजी का शेष रहा रकबा 1.12 बीघा में से 0.16 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु आवेदन करने पर कार्यालय विहित प्राधिकारी तहसीलदार बासंवाड़ा के सम्परिवर्तन आदेश क्रंमाक राज/2011/389–91 दिनांक 17.03.2012 के द्वारा 1296 वर्गमीटर भूमि कृषि से अकृषि में प्रयोजनार्थ सड़क से 40 मीटर भूमि छोड़कर सम्परिवर्तन किया गया है। लेकिन प्रासंगिक आदेश संख्या–राजस्व/2011/389–91 दिनांक 17.03.2012 के साथ सलंग्न संपरिवर्तित भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार नक्शा में तरमीम नहीं होकर सड़क सीमा से लगती हुई भूमि में तरमीम हुई है जो गलत है।

अतः आदेश संख्या–राजस्व/2011/389–91 दिनांक 17.03.2012 के साथ सलंग्न संपरिवर्तित भूमि के नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व रिकार्ड (ट्रेस नक्शा) में तरमीम की शुद्धि किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस को सुना तथा पत्रावली पर अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, जमाबन्दी खसरा नम्बर 369,1208/1814 संवत् 2074–2077, नक्शा ट्रेस, रूपान्तरण पत्रावली की प्रति, रूपान्तरण आदेश, नक्शा ट्रेस प्रस्तावित आबादी, जमाबन्दी खसरा नम्बर संवत् 2067 –2070, जमाबन्दी आबादी भूमि, नक्शा ट्रेस, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाके गांव कूपड़ा पटवार हल्का कूपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में प्रार्थी की कृषि भूमि रूपान्तरण आदेश के द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि एवं उसके साथ अनुमोदित नक्शे के अनुसार मूल खसरा नम्बर 369 के दक्षिणी हिस्से में

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के मध्य बिन्दु से 40 मीटर छोड़कर आबादी भूमि खसरा नम्बर 1814/369 को तरमीम किया जावें। ताकि प्रार्थी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाध व पूर्ण उपयोग कर सके। अतःप्रार्थी के हाल राजस्व रिकार्ड में तरमीम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक राजस्व नक्शा ट्रेस के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Sonu

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राजस्थान)

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 136 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम 1956 राजस्व रेकार्ड अन्य दस्तावेज व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर मौजा गांव कूपड़ा पटवार हल्का कूपड़ा तहसील व जिला बांसवाड़ा में प्रार्थी की कृषि भूमि रूपान्तरण आदेश के द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि एवं उसके साथ अनुमोदित नक्शे के अनुसार मूल खसरा नम्बर 369 के दक्षिणी हिस्से में अर्थात् राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए के मध्य बिन्दु से 40 मीटर छोड़कर आबादी भूमि खसरा नम्बर 1814/369 को राजस्व नक्शा के अनुसार तरमीम दुरस्ती करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बांसवाडा को निर्णय की छायाप्रति पृथक से पालना हेतु भेजी जावें।

आदेश आज दिनांक 23/12/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

Sonu

(सोनू कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner